आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज कीं सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। सुनवाई के पश्चात जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ वाद की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शिकातकर्ता सहित कई लोगों ने लिखित रूप से यह अवगत कराया कि सितम्बर माह का राशन उन्हें दिसम्बर माह में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री सुभाष राम का कहना है कि ऐसा कोई लिखित आवेदन उन्होंने नहीं दिया है कि सितम्बर माह का राशन उन्हें उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश देता है कि वे शिकायर्ता के हस्ताक्षर का मिलान कर यह सुनिश्चित कराएँ की कहीं उनके आवेदन में दिया गया आवदेन फर्जी तो नहीं है। ऐसा यदि फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से यह आवेदन दिया गया है तो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी विधि सम्मत कारवाई कराएँ। इस बिच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि श्री सुभाष राम को अपने कार्यालय बुलाकर उनके शिकायतों का निदान कराएँ। उन्हें जिस अवधि का राशन नहीं मिला है उस अवधि का राशन उन्हें मुआवजा सहित यथा 1.25 गुणा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई के पूर्व आयोग के निर्देश के अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपलब्ध कराएँगे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx17		